रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 1994/ पौष 30, 1915

No. 25] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 1994/PAUSA 30, 1915

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1994

का.आ.नि. 30 (अ).—केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भा.पु.से. (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1988 में संशोधन के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा वरिष्ठता का विनियमन संशोधन नियमावली, 1994 होगा।

(2) ये 27 जुलाई, 1988 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1988 में नियम 3 के उपनियम (3) के खण्ड (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 2 की धारा (ड.ड.) के अन्तर्गत आने वाले परिवीक्षाधीन अधिकारी को छोड़कर जिन्हें बाद के आबंटन वर्ष के सीधी भर्ती के अधिकारियों के साथ भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम 1 के तहत परिवीक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी गई है तो उसे वह बाद वाला वर्ष आबंटन वर्ष के रूप में दिया जाएगा।"

[संख्या 14014/56/90-अ.भा.स. (I)]
हरि सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का नियम) नियमावली 1988 दिनांक 27 जुलाई, 1988 के भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 के उपखण्ड (i) में का.आ.नि. सं. 815 (ड.) के रूप में 27 जुलाई 1988 की अधिसूचना सं. 14014/40/88-अ.भा.से. (i) के तहत प्रकाशित किए गए।

भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए कारण देते हुए ज्ञापन।

27-7-1988 से पहले भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम 3(3) (क) में यह प्रावधान था कि सीधी भर्ती वाले अधिकारी का आबंटन का वर्ष प्रतियोगी परीक्षा के वर्ष से अगला वर्ष गिना जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा, 1987 से उपरोक्त परीक्षा का नियम 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की कि सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भा.से.पु. के सफल उम्मीदवार परिवीक्षा प्रशिक्षण से अनुमति लेकर ही अगली सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकता है। सिविल सेवा परीक्षा, 1987 के नियमों में इस

प्रावधान के आधार पर भा.पु.से. (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली 1988 के नियम 3(3) (i) में निम्नलिखित परन्तुक की व्यवस्था की गई :—

"बशर्ते कि भा.पु.से. (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 2 की धारा (ड.ड.) में परिभाषित छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों के मामले में तथा परवर्ती आबंटन वर्ष के सीधे भर्ती के अधिकारी जिन्हें भा.पु.से. (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम (1) के तहत परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ परिवीक्षा प्रशिक्षण की अनुमति दी गई है, उन्हें आबंटन वर्ष के रूप में बाद का वर्ष प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त परन्तुक में यह प्रावधान है कि निम्नलिखित दो श्रेणियों के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का आबंटन वर्ष उनकी प्रशिक्षण में भाग लेने की तारीख पर निर्भर करेगा :—

(1) वे परिवीक्षाधीन अधिकारी जो अगली सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण से छूट की अनुमति चाहते हैं और अगले वर्ष के सफल उम्मीदवारों के साथ ट्रेनिंग लेते हैं (वे छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन अधिकारी कहलाते हैं)।

(2) ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारी जिन्हें किन्हीं अन्य कारणों के आधार पर बाद के बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण लेने की अनुमति प्राप्त है।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों में आबंटन का वर्ष उस बैच पर आधारित होगा जिनके साथ संबंधित परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण में भाग लेते हैं।

2. पहली श्रेणी के परिवीक्षाधीन अर्थात् छूट प्राप्त परिवीक्षाधीनों के मामले में वरिष्ठता में ह्रास (आबंटन वर्ष का निर्धारण) को सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 4 की वैधता को चुनौती देते हुए प्रश्नचिन्ह लगाया गया था। सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 4 की वैधता को मानते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ में ओ.ए.सं. 206/89—आलोक कुमार बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि छूट प्राप्त परिवीक्षीनों के मामले में उनकी वरिष्ठता का ह्रास नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने सी.ए. 5439-52- मोहन कुमार सिघानिया बनाम भारत संघ तथा अन्य में दिनांक 13-9-1991 के अपने निर्णय में इसे ही दोहराया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वयन करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1988 में संशोधन करना अपेक्षित होगा।

3. भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 3 (3) (1) का परन्तुक उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित दोनों श्रेणियों पर लागू होता है। जबकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्चतम न्यायालय का निर्णय केवल एक श्रेणी अर्थात् छूट प्राप्त परिवीक्षाधीनों के लिए ही था। छूट प्राप्त परिवीक्षाधीनों के मामले में आबंटन का वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ष का आगामी वर्ष होगा।

जबकि दूसरी श्रेणी के परिवीक्षाधीनों के मामले में जिन्होंने अन्य किसी कारणों से बाद में परिवीक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुमति ली है उनका आबंटन का वर्ष उन परिवीक्षाधीनों के आबंटन के वर्ष पर निर्भर करेगा जिनके साथ उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया। भा.पु.से. (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1988 का नियम 3(3) (1) के विद्यमान परन्तुक को निम्नलिखित परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

"बशर्ते यदि सीधी भर्ती वाला कोई अधिकारी, भा.पु.से. (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 2 की धारा (ड.ड.) के अन्तर्गत आने वाले परिवीक्षाधीन अधिकारी को छोड़कर, जिसे बाद के आबंटन वर्ष के सीधी भर्ती के अधिकारियों के साथ भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम 1 के तहत परिवीक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी गई है तो उसे वह बाद वाला वर्ष आबंटन वर्ष के रूप में दिया जाएगा।

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1994

GSR No. 30(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules to amend the Indian Police Service (Regulation of Seniority) Rules, 1988, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Police Service (Regulation of Seniority) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 27th July, 1988.

2. In the Indian Police Service (Regulation of Seniority) Rules, 1988, for the proviso to clause (i) of sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that if a direct recruit officer, other than an exempted probationer within the meaning of clause (ee) of rule 2 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, who is permitted to join probationary training under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 with the direct recruit officers of subsequent year of allotment, then he shall be assigned that subsequent year as the year of allotment".

[No. 14014/56/90-AIS (I)]
HARI SINGH, Under Secy.

Foot Note :—The Indian Police Service (Regulation of Seniority) Rules, 1988 were published as G.S.R. No. 815(E), in Part II Section 3 Sub-Section (i) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 27th July, 1988 vide Notification No. 14014/40/88-AIS (I), dated 27th July, 1988.

MEMORANDUM GIVING REASONS FOR MAKING AMENDMENT WITH RETROSPECTIVE EFFECT

Prior to 27-7-1988, rule 3(3)(a) of the IPS (Regulation of Seniority) Rules, 1954 provided that the year of allotment of a direct recruit officer shall be the year following the year in which the Competitive

Examination was held. From the Civil Services Examination, 1987, Rule 4 of the said examination provides interalia that a successful candidate allotted to IPS on the basis of Civil Services Examination can appear at the next CSE only by seeking permission from Probationary training. Based on this provision in the rules for the Civil Service Examination, 1987, the following proviso was provided in rule 3(3)(i) of the IPS (Regulation of Seniority) Rules, 1988 :—

> "Provided that, in the case of exempted probationers, as defined in clause (ee) of rule 2 of the IPS (Probation) Rules, 1954, and direct recruit officers, who are permitted to join probationery, training under sub-rule (1) of rule 5 of the IPS (Probation) Rules, 1954 with the direct recruit officers of a subsequent year of allotment, they shall be assigned that subsequent year as the year of allotment".

The above proviso stipulates that YOA in the case of the following two categories of probationers shall depend upon the date of their joining training :—

(i) Probationers who seek permission to abstain from joining probationary training in order to appear at the next Civil Service Examination and join training alongwith successful candidates of next year's examination. (They are called exempted Probationers).

(ii) Probationers who are permitted to join training along with probationers of a subsequent batch on any other grounds.

In both the above categories, the YOA depends upon the batch with whom the concerned probationers join training.

2. The depression of seniority (assignment of YOA) in the case of first category of probationers i.e. exempted probationers, was questioned while challegning the validity of Rule 4 of the rules for Civil Services Examination. While upholding validity of Rule 4 of the Civil Services Examination rules, the CAT, Principal Bench held in O.A. No. 206/89-Alok Kumar Vs. Union of India and others that in the case of exempted pprobationers their seniority cannot be depressed. This has been reiterated by the Suprme Court in judgement dated 13th September, 1991 in C.A No 5439-52-Mohan Kumar Singhania Vs. Union of India and others. In order to implement the judgement of the CAT, Princippal Bench and also the Supreme Court of India, the IPS (Regulation of Seniority) Rules, 1988 would require to be amended.

3. The proviso to Rule 3(3)(i) of the IPS (Regulation of Seniority) Rules, 1988 applied to two categories mentioned in para 1 above, whereas the CAT/ Supreme Court judgement was in the case of only one category, namely, exempted probationers. In the case of the exempted probationers, the year of allotment will be the year following the year of Competitive Examination whereas in the case of second catefory of probationers, namely those probationers, who obtain permission to join training late on any other ground, their year of allotment depends upon the year of allotment of probationers with whom they join training. The existing proviso to rule 3(3)(i) of the IPS (Regulation of Seniority) Rules, 1988 is being substituted with the following proviso :—

> "Provided that if a direct recruit officer, other than an exempted probationer within the meaning of clause (ee) of rule 2 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, who is permitted to join probationary training under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 with the direct recruit officers of subsequent year of allotment, then he shall be assigned that subsequent year as the year of allotment".

HARI SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994